विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 12 कंडिकाएँ और **''मोटर वाहन कर एवं शुल्क का संग्रहण एवं आरोपण''** पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल हैं। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,389.53 करोड़ है। इस प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

1. सामान्य

वर्ष 2018–19 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,31,793.45 करोड़ थी जिसमें से राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से सृजित राजस्व ₹ 33,538.70 करोड़ (25.45 प्रतिशत) था। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 98,254.75 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 74.55 प्रतिशत) था जिसमें संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 73,603.13 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 55.85 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 24,651.62 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 18.70 प्रतिशत) समाविष्ट थे।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2019 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फिस तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों पर राजस्व के बकाये ₹ 4107.32 करोड़ थे, जिसमें से ₹ 521.07 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

(कंडिका 1.2)

लेखापरीक्षा ने 629 मामलों में कुल ₹ 3,658.11 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया (अप्रैल 2018 एवं फरवरी 2020 के मध्य)। संबंधित विभागों ने 1,648 मामलों में ₹ 1,336.65 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2018 एवं अप्रैल 2020 के मध्य) जिसमें से ₹ 366.27 करोड़ के 55 मामले 2018–19 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्त्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने 196 मामलों में ₹ 8.90 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित (अप्रैल 2018 एवं अप्रैल 2020 के मध्य) किया।

(कंडिका 1.5)

2. वाणिज्य–कर

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 5.64 करोड़ के आवर्त्त के छिपाव का पता नहीं लगाया जा सका जिससे आरोप्य ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 2.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3)

कर निर्धारण प्राधिकारियों, व्यवसायियों द्वारा अमान्य कटौतियों के लाभ लिए जाने का पता लगाने में विफल रहने के फलस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.4)

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कर के कम/विलंबित भुगतान का पता नहीं लगाने के परिणामस्वरूप ₹2.88 करोड़ के कर की कम वसूली एवं ₹ 4.38 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.5)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रवेश कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 1.91 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

(कंडिका 2.6)

3. राजस्व एवं भूमि सुधार

चार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ₹ 91.03 करोड़ के स्थापना प्रभार की राशि राज्य सरकार के समेकित निधि में प्रेषण करने में विफल रहे जबकि निधि उनके पास उपलब्ध थी।

(कंडिका 3.3.2)

चार जिला भू अर्जन पदाधिकारी अधिसूचना की तारीख से पंचाट की तिथि या भूमि पर कब्जा की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिये अतिरिक्त मुआवजे की गणना करने में विफल रहे या त्रुटिपूर्ण गणना किये। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरुप ₹ 24.56 करोड. की अतिरिक्त मुआवजे की त्रुटिपूर्ण गणना हुई।

(कंडिका 3.3.3)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी खगड़िया ने जनवरी 2015 से ₹ 2.24 करोड़ के निधि की उपलब्धता के बावजूद भू स्वामियों को भुगतान करने में विफल रहे।

(कंडिका 3.3.4)

मुआवजा भुगतान के अनुमान को अंतिम रुप देते समय जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पुराने दर को लागू किये जाने के कारण विस्थापित परिवारों को ₹ 1.23 करोड़ कम मुआवजे का भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.3.5)

दो जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों ने यथोचित प्रक्रिया का पालन न कर, बिना प्रासंगिक दस्तावेजों की पुष्टि किये अयोग्य व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया और इस प्रकार निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया, परिणामस्वरुप ₹ 1.18 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.3.6)

4. मोटर वाहनों पर कर

अधिनियमों एवं नियमों का प्रावधान राजस्व की सुरक्षा एवं करों, जुर्माना एवं शुल्कों के आरोपण एवं संग्रहण के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली की मौजूदगी के लिए पर्याप्त है, जिसको सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग के *वाहन* एवं *सारथी* सॉफ्टवेयर के डाटा विश्लेषण सहित मोटर वाहन कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। लेखापरीक्षा में निम्न पाया गया :

अनियमित अधिसूचना के कारण एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से सड़क सुरक्षा उपकर का कम आरोपण।

(कंडिका 4.3.8)

विभिन्न शुल्क पर अधिभार लगाने की अनियमित अधिसूचना के कारण चालक अनुज्ञप्ति और प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति धारकों पर ₹ 18.52 करोड़ का अनुचित बोझ पड़ा।

(कंडिका 4.3.9)

निजी वाहन मालिकों से कर के बिलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड के प्रावधान के गलत परिमापन के कारण विभाग ने ₹ 2.83 करोड़ का अर्थदण्ड वसूल किया।

(कंडिका 4.3.11)

वाहन डाटाबेस में जानकारी की उपलब्धता के बावजूद, जिला परिवहन कार्यालय ने न तो उन वाहनों के निबंधन/परमिट रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू की जिनके फिटनेस प्रमाण

पत्र की अवधि समाप्त हो गई थी और न हीं चूककर्ता वाहन मालिकों को कोई नोटिस जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 187.01 करोड़ के राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 4.3.16)

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने निबंधन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर और अनुमोदन के समय ₹1.19 करोड़ के देय कर की वसूली सुनिश्चित नहीं किया।

(कंडिका 4.3.17.2)

ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर ट्रेलर के निबंधन के लिए दिशानिर्देशों/सहायक दस्तावेजों के नहीं होने के कारण सात जिला परिवहन पदाधिकारियों ने 8,969 ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन को मनमाने तरीके से कृषि श्रेणी के तहत निबंधित किया जिससे ₹ 25.22 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

(कंडिका 4.3.18)

जिला परिवहन कार्यालयों के *वाहन* डाटाबेस में चूककर्त्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करो का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद, उन्होंने प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कर चूककर्त्ता सूची बनाने के लिए *वाहन* के कर तालिका की जाँच या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कर चूककर्त्ताओं को कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹ 15.13 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 22.79 करोड़ कर (सड़क कर ₹7.56 करोड़ और सड़क सुरक्षा उपकर ₹ 9.58 लाख) की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.3.19.1)

कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड को न तो *वाहन* द्वारा गणना की गई और न ही जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा आरोपण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 4.3.20)

राष्ट्रीय परमिट पंजी को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा न ही अद्यतन किया गया था न ही भौतिक सत्यापन किया गया। परिणामस्वरूप, संयुक्त शुल्क और प्राधिकरण शुल्क ₹ 6.29 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.3.22.1)

₹ 1,000 के प्रसंस्करण शुल्क के वसूली के बिना 29,625 मालगाड़ी, 1,165 बस और 5,571 अनुबंधित मालवाहक वाहनों को परमिट जारी किए गए, जिससे ₹ 3.64 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.3.22.2)

अधिनियमों एवं नियमावलियों के अनुसार अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के कारण ₹ 7.01 करोड़ के राजस्व के बकाये का वसूली नहीं की जा सकी।

(कंडिका 4.3.25.2)

विभाग ने राजपत्र अधिसूचना में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की संपत्तियों के अधिग्रहण से ₹ 874.81 करोड़ की वसूली दिखायी किंतु यह हितधारकों के लिए तथ्यों की गलत प्रस्तुति थी, क्योंकि भूमि के रूप में अधिग्रहण की गई सम्पत्ति पहले से ही राज्य सरकार की थी एवं वर्त्तमान तिथि में भवन का कोई मूल्य नहीं था।

(कंडिका 4.4)

आठ करोड़ रूपया खर्च करने के बावजूद तीन धर्मकॉटा को परिवहन विभाग को दिसम्बर 2015/जनवरी 2016 में सुपूर्द करने के बाद भी उसे 2019 तक कार्यशील नहीं किया जा सका था। इसके अलावा, सरकार ने वैसे पदाधिकारियों जिनकी पदस्थापना मूल रूप से धर्मकॉटा स्थल के लिए हुई थी किन्तु उनकी तैनाती राज्य परिवहन निगम/जिला परिवहन कार्यालय, पटना कार्यालय में किया गया था, के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के रूप में ₹ 75.98 लाख का व्यय भी किया गया था।

(कंडिका 4.5)

5. मुद्रांक एवं निबंधन फीस

निबंधन विभाग ने बिहार निबंधन नियमावली 2008, में सेवा प्रभार के संग्रहण से संबंधित अवैध प्रावधान बनाया, जिसके परिणामस्वरूप न केवल हितधारकों पर वित्तीय बोझ डालकर 2018–19 के दौरान ₹ 31.73 करोड़ का सेवा प्रभार का संग्रह किया गया अपितु इनको राज्य के समेकित निधि के बदले बैंक खाता में जमा किया गया।

(कंडिका 5.3)

दो निबंधन प्राधिकारी मई 2018 से जून 2019 तक निष्पादित दो दस्तावेजों में संपत्ति के अवमूल्यन का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 90.25 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.4)

6. खनन प्राप्तियाँ

खनन पदाधिकारी प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' के बिना प्रस्तुत कार्य संवेदको के विपत्रों का भुगतान नहीं किए जाने को सुनिश्चित करने में विफल रहे एवं वे अप्राधिकृत स्रोतों से खनिज अधिप्राप्ति के लिए ₹ 46.42 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण करने में भी विफल रहे।

(कंडिका 6.3)

ईट मौसम 2017–18 और 2018–19 के दौरान, 260 ईंट भट्ठों का परिचालन बिना वैध परमिट के किया गया परिणामस्वरूप रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 3.85 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(कंडिका 6.4)

रायल्टी के विलम्ब से/नही भुगतान पर खनन पदाधिकारी द्वारा ब्याज का आरोपण करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 41.85 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

(कंडिका 6.5)